## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

### भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# <u>अधिस्चना</u>

नई दिल्ली, तारीख 🛭 जनवरी, 2015

का.आ. (अ.)- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 439 की उपधारा (2) के अनुसरण में नोएडा स्थित प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय में निम्नितिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 155 के अधीन अपराधों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 159 के अधीन शिकायत दायर करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम	
1.	डा. राज सिंह, संयुक्त निदेशक	
2.	श्री ए. एम. सिंह, संयुक्त निदेशक	
3.	सुश्री पी. शीला, संयुक्त निदेशक	
4.	श्री आर. के. तिवारी, संयुक्त निदेशक	
5.	श्री सीएच. जगन्नाथ रेड्डी, सहायक निदेशक	

[फा.सं. 1/6/2014-सीएल-V]

संयुक्त सचिव

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii)]

#### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **Notification**

New Delhi, dated 9th January, 2015

S.O.....(E).- In pursuance of sub-section (2) of section 439 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby authorises the following officers in the office of Regional Director (Northern Region) at Noida for the purposes of filing complaint under section 159 of the said Act in respect of offences under section 155 of the said Act, namely:-

S	Name of officers	
No.		
1.	Dr. Raj Singh, Joint Director	
2.	Shri A.M.Singh, Joint Director	
3.	Ms. P. Sheela, Joint Director	
4.	Shri R.K.Tiwari, Joint Director	
5.	Shri Ch. Jaganadh Reddy, Assistant Director	

[F. No.1/6/2014-CL V]

(AMARDEEP SINGH BHATIA)
Joint Secretary